रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20112026-278085
CG-DL-E-20112026-278085

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6088] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 20, 2026/कार्तिक 29, 1948
No. 6088] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 20, 2026/KARTIKA 29, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2026

सं. - 95/2026 - सीमा शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 6328(अ).— सीमा शुल्क अधनयम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) और (ग) के तहत प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोड, भारत सरकार के वत्त मंत्रालय (राजस्व वभाग) की अधसूचना संख्या 63/1994-सीमा शुल्क (गै.टै.) दिनांक 21 नवम्बर, 1994, जिसे का.आ. सं. 830 (अ) दिनांक 21 नवम्बर, 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशत कया गया था, में एदतद्वारा आगे निम्नलिखित संशोधन करती है -

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, नेपाल की भूमि सीमा से संबंधित क्रम संख्या 6 के अंतर्गत, कॉलम (3) में धारचूला से संबंधित मद (6) के समक्ष, कॉलम (6) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, यथा:-

		(3)	(4)
		(6) धारचूला	"(क) भारत के पिथौरागढ़ ज़िले के धारचूला और नेपाल में दारचूला को जोड़ने वाली सड़क। (ख) भारत के धारचूला के माल्ला छारछुम गांव को नेपाल के दार्चूला मुख्यालय के अशिगदामा को जोड़ने वाला मोटरवाहन योग्य छारछुम पुल."

[फा. सं. 552/01/2023-LC]

इंद्रजीत पांडा, अवर सचिव

टिप्पण - मूल अधिसूचना सं. 63/1994-सीमा शुल्क (गै.टै.), दिनांक 21 नवम्बर, 1994 को का.आ. संख्या 830 (अ), दिनांक 21 निम्बर, 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्राकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 43/2026-सीमा शुल्क (गै.टै), जिसे का. आ. 2256 (अ), दिनांक 06 2026 के तहद्द भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) मे प्राकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2026

No.- 95/2026 - Customs (N.T.)

S.O. 6328(E).— In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of sub-section (1) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 63/1994-Customs (N.T.) dated the 21st November, 1994, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 830 (E), dated the 21st November, 1994, namely: -

In the said notification, in the TABLE, against serial number 6 relating to land frontier of Nepal, against item (6) in column (3) relating to Dharchula, for the corresponding entry in column (4), the following entry shall be substituted, namely: -

		(3)	(4)
		(6)Dharchula	"(a) Road connecting Dharchula in district Pithoragarh in India and Darchula in Nepal. (b) Chharchhum motorable Bridge for connecting Malla Chharchhum Village, Dharchula, India with Ashigadama in Darchula Headquarters, Nepal."

[F. No. 552/01/2023-LC]

INDRAJIT PANDA, Under Secy.

Note: The principal notification No. 63/1994-Customs (N.T.), dated 21st November, 1994 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number S.O. 830(E), dated the 21st November, 1994 and was last amended, *vide* notification No. 43/2026-Customs (N.T.) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 2256(E), dated the 06th May, 2026.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA